न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निग0 2041–तीन/2000 विरूद्ध आदेश दिनांक 29.5.2000 पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना प्रकरण कमांक 112/95–96/अपील.

———

मध्यप्रदेश शासन
द्वारा कलेक्टर, भिण्ड म.प्र. ——— आवेदक

विरूद्ध

1– कृष्ण कुमार बाबरी पुत्र लक्ष्मीकुमार बाबरी (मृतक) वारिसान
(i) श्रीमती चन्द्रकान्ता बावरी पत्नी स्व. कृष्णकुमार बावरी
(ii) संजय बाबरी
(iii) सिद्धार्थ बाबरी
दोनों पुत्रगण कृष्ण कुमार
नि. वावरी भवन, सराफा बाजार लश्कर ग्वालियर
(iv) श्रीमती अनुराधा पत्नी रोजर राजेन्द्र राठी
नि. 47266 व्हाईट पाइन्स ड्राइव
नोवी मिशिगन 48374 यू.एस.ए.
(v) अनुपमा मित्तल पत्नी मयंक मित्तल
7912 फिल्डिंग लेन ग्रिनडेल, विस्कोन्सिन
53129 यू.एस.ए.

2– श्रीमती प्रतिभा मोहता पत्नि श्री सुशील कुमार मोहता
निवासी सराफा बाजार, ग्वालियर

3– राजकुमार शाक्य ——— अनावेदकगण

———

श्रीमती नीना पाण्डे, अधिवक्ता, आवेदक.
श्री एस.के. वाजपेई, अधिवक्ता, अनावेदक कमांक 1.
श्री आलोक शर्मा, अधिवक्ता, अनावेदक कमांक 2.
श्री आर.डी. शर्मा, अधिवक्ता, अनावेदक कमांक 3

———

:: आदेश ::

( आज दिनांक २२ जनवरी, 2015 को पारित )

———

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक

112/95–96/अपील में पारित आदेश दिनांक 29.5.2000 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई हैं ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 26.10.93 को पटवारी मौजा द्वारा इस आशय की रिर्पोट विचारण न्यायालय में पेश की गई कि तत्कालीन ग्वालियर रियासत द्वारा अनावेदक के पिता को कॉटनजीन फैक्ट्री लगाने के लिए भूमि इस शर्त पर पट्टे पर दी गई थी कि पट्टाधारी यदि इस भूमि पर कारखाना नहीं लगाता है तो उक्त भूमि सरकार को वापिस हो जायेगी । रिर्पोट में यह भी लेख किया गया कि विवादित भूमि पर पट्टाधारी द्वारा कोई कारखाना नहीं लगाया है, जिसके कारण भूमि स्वतः ही सरकारी हो चुकी है, किंतु पट्टेधारी के उत्तराधिकारियों द्वारा इस भूमि को अवैधानिक रूप से बेच रहे है । अतः इन्द्राज दुरस्त किया जाये । विचारण न्यायालय द्वारा पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट पर से प्रकरण संहिता की धारा 115 के तहत दर्ज किया एवं आदेश दिनांक 3.1.94 द्वारा संहिता की धारा 115 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए विवादित भूमि लक्ष्मी कुमार के स्थान पर म.प्र. शासन के नाम अंकित करने के आदेश दिये । इस आदेश से व्यथित होकर अनावेदक कमांक 1 ने एस.डी.ओ. के समक्ष अपील पेश की जो उन्होंने आदेश दिनांक 7–2–96 द्वारा निरस्त की । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा स्वीकार की है ।

3/ अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध शासन द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत इस अपील में इस न्यायालय ने दिनांक 27.8.2001 द्वारा प्रकरण अपर आयुक्त को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि शासन एवं अनावेदक को सुनवाई का यथोचित अवसर उपलब्ध कराकर प्रकरण का विधिवत निराकरण किया जाये । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका कमांक 1724/2001 प्रस्तुत की गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 3.1.07 को आदेश पारित करते हुए राजस्व मंडल का आदेश निरस्त किया एवं प्रकरण इस न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया है कि प्रकरण का निराकरण नियमानुसार नये सिरे से गुणदोष पर किया जाये । माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में कार्यवाही करते हुए उभयपक्षों के तर्क गुणदोष पर सुने गये हैं ।

3/ आवेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमो में दिये

गये तर्कों को दोहराते हुए मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि अपर आयुक्त ने संहिता की धारा 115 के प्रावधानों को समझने में त्रुटि की गई है

यह तर्क दिया गया कि ग्राम पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट पर तहसीलदार ने जांच कर तथा अभिलिखित भूमिस्वामी को सुनवाई का पूरा मौका देकर आदेश पारित किया था जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने यथावत रखा था परंतु अपर आयुक्त ने तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई वैधानिक आधार न होते हुए भी उन्हें निरस्त करने में विधिक त्रुटि की है ।

यह तर्क दिया गया कि भूमि कारखाना लगाने के लिए पट्टे पर दी गई थी और जब पट्टाधारी ने कारखाना नहीं लगाया तब भूमि शासन की हो जाती है । उनका आगे तर्क था कि लक्ष्मी कुमार बावरी का नाम अवैध रूप से भूमिस्वामी के रूप में लिया गया है लक्ष्मीकुमार को भूमि पर कोई अधिकार नहीं थे ।

यह तर्क भी दिया गया कि अपर आयुक्त ने राजस्व मंडल के 7–1–74 के आदेश का गलत अर्थ अनावेदक के हित में करते हुए आदेश पारित करने में त्रुटि की है । उक्त आदेश में संहिता की धारा 172, 182 एवं 59 के प्रावधानों की प्रयोजिता पर विचार करने के निर्देश थे ।

यह तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मंदसौर मिल के प्रकरण में पारित न्यायदृष्टांत पर विचार न करते हुए आदेश पारित करने में त्रुटि की है और जिन न्यायदृष्टांतों को अपर आयुक्त ने अपने निर्णय का आधार बनाया है वह प्रकरण से असंबंधित थे । उक्त आधारों पर विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक कमांक – एक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि इस प्रकरण से संबंधित भूमि शासकीय भूमि नहीं है व्यक्तिगत भूमि थी जिस पर लक्ष्मीकुमार का नाम विधिक अधिकारों के अंतर्गत अंकित किया गया था ।

उनका तर्क है कि यदि भूमि पट्टे पर दी गई थी तथा पट्टे की शर्तों का उल्लंघन हुआ था तब संहिता की धारा 181 एवं 182 के तहत कार्यवाही करने का अधिकार कलेक्टर को है क्योंकि यह प्रकरण पटवारी की इस रिर्पोट के आधार पर

प्रारंभ हुआ है कि पट्टे की शर्त का उल्लंघन किया गया है तथा लक्ष्मीकुमार का नाम भूमिस्वामी के रूप में गलत प्रविष्ट है तब रिर्पोट के साथ पट्टा प्रस्तुत करना आवश्यक था परंतु ना तो रिर्पोट के साथ और ना ही रिर्पोट के आधार पर की गई कार्यवाही में कोई पट्टा इस प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है । केवल पटवारी के रिर्पोट के आधार पर निकाले गये निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण थे । अतः अपर आयुक्त ने ऐसे आदेशों को निरस्त करने में कोई भूल नहीं की है ।

यह तर्क भी दिया गया कि पटवारी का प्रतिवेदन स्वयं में कोई साक्ष्य नहीं होता है । प्रतिवेदन जिन आधारों एवं आरोप लगाते हुए प्रस्तुत किया गया है उन तथ्यों एवं आरोपों को साक्ष्य से प्रमाणित किया जाना आवश्यक है । इस संबंध में उनके द्वारा 1979 आर.एन. 425 का न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किया गया । यह भी कहा गया कि राजस्व अभिलेखों की प्रविष्टि में सुधार कब एवं किन परिस्थितियों में किया जाना चाहिए एवं किया जा सकता है इस वैधानिक प्रकिया एवं अधिकारिता पर अपर आयुक्त ने संहिता की धारा 114, 115 एवं 116 पर राजस्व मंडल के विभिन्न न्यायदृष्टांतों की व्याख्या करते हुए जो निर्णय दिया है वह विधिसम्मत । पुनरीक्षण आवेदन में ऐसे कोई तर्क संगत एवं ठोस आधार नहीं है जिनके कारण अपर आयुक्त के आदेश में हस्तक्षेप किया जा सकता हो ।

अनावेदक क. 1 के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान इस ओर भी आकर्षित किया कि लक्ष्मीकुमार जो कृष्णकुमार के पिता थे के विरूद्ध पूर्व में भी कलेक्टर द्वारा कार्यवाही की गई थी । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध लक्ष्मीकुमार ने अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी कमांक 106/72–73 प्रस्तुत की थी जिसे अपर आयुक्त ने दिनांक 24.11.73 को स्वीकार कर कलेक्टर का संहिता की धारा 182 के तहत पारित आदेश निरस्त किया था । अपर आयुक्त ने अपने आदेश के पद 4 में यह निष्कर्ष निकाला था कि विवादित भूमि कारखाना लगाने हेतु पट्टे पर दिए जाने का कोई प्रमाण एवं साक्ष्य नहीं है जिससे यह ज्ञात हो सके कि पट्टा किन शर्तों पर दिया गया था । अपर आयुक्त के आदेश मे विरूद्ध राज्य शासन की ओर से राजस्व मंडल में निगरानी कमांक 66–तीन/74 प्रस्तुत की गई थी जिसमें राजस्व मंडल ने दिनांक 07–01–1974 को आदेश पारित करते हुए अपर आयुक्त के आदेश में मात्र यह संशोधन किया था कि यदि भूमि का उपयोग

आवासीय रूप में किया जाता है तथा उस पर लगान बढ़ाया जाता है तब अपर आयुक्त का आदेश बाधक नहीं होगा । उनका कहना है कि भूमि, भूमिस्वामी स्वत्व पर धारित है जिसकी प्रविष्टियां राजस्व अभिलेखों में है तथा पिछले 60 वर्षों से निरंतर आधिपत्य चला आ रहा है । किसी वैध कारण एवं आधारों के पिछले 35 वर्षों से निरंतर न्यायालयीन कार्यवाहियों में भूमिस्वामी को उलझाया जाता रहा है जोकि न्यायोचित नहीं है

अनावेदक क्र. 1 के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान संवत 1991 से वर्तमान कार्यवाही प्रारंभ होने तक की खसरा प्रविष्टियों की ओर भी आकर्षित करते हुए यह तर्क दिया कि संहिता के प्रभावशील होने के पूर्व से यदि कोई भूमि व्यक्तिगत स्वत्व पर अंकित है तब ऐसी प्रविष्टियों को संहिता के अंतर्गत मान्यता प्रदान की गई है । संहिता के पहले की प्रविष्टियों को प्रश्नगत नहीं किया जा सकता । यदि कोई व्यक्ति चाहे शासन ही क्यों न हो यदि चुनौती देना चाहता है तब वह उसे व्यवहार न्यायालय में ही चुनौती दे सकता है ।

5/ अनावेदक कमांक – दो की प्रतिभा मोहता के अधिवक्ता द्वारा केवल यह तर्क दिया गया कि विवादित भूमि, भूमिस्वामित्व की भूमि है, ना कि शासकीय तथा उनकी पक्षकार का अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक मान्य किया जा चुका है । उनके द्वारा भी पुनरीक्षण आवेदन निरस्त करने की प्रार्थना की गई ।

6/ अनावेदक कमांक – तीन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा शासकीय अधिवक्ता के तर्कों का समर्थन करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त किए जाने एवं निगरानी स्वीकार किए जाने का निवेदन किया गया है ।

7/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । अभिलेख में जो खसरे संलग्न हैं, उनके अवलोकन से स्पष्ट है कि संवत 1991 के खसरे में मालिक के खाने में श्रीराम सीताराम का नाम अंकित है तथा संवत 2008 के खसरे में प्रश्नाधीन भूमि पर खसरे के खाना नं. 3 में लक्ष्मीकुमार बावरी का नाम प्रविष्ट है एवं यही स्थिति संहिता के प्रभावशील होने के दिनांक तक यथावत रही है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि संवत 2008 के पूर्व से ही व्यक्तिगत भूमि के रूप में प्रविष्ट होती रही है । संहिता के प्रभावशील होने के पश्चात लक्ष्मीकुमार बावरी का नाम भूमिस्वामी के रूप में निरंतर

रहा है इससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निकाले गये इस निष्कर्ष की पुष्टि होती है विवादित भूमि कभी शासकीय नहीं थी । अभिलेख में राजस्व मंडल द्वारा पूर्व में प्रकरण कमांक 68–तीन/74 में पारित आदेश दिनांक 07–01–1974 की प्रति संलग्न है इससे अनावेदक क. 1 के इस तर्क को बल मिलता है कि पूर्व में भी उनके विरूद्ध प्रकरण राजस्व मंडल तक आया जिसमें वर्ष 1974 में निर्णय हुआ । वर्तमान कार्यवाही 1993 से निरंतर चल रही है तथा आज तक कोई ऐसा ठोस लेखी प्रमाण प्रस्तुत नहीं हुआ है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि विवादित भूमि अनावेदक क. 1 के पूर्वाधिकारियों को पट्टे पर दी गई थी । जब प्रकरण में कोई पट्टा प्रस्तुत नहीं हुआ है तब यह तर्क आधारहीन हो जाता कि भूमि पट्टे पर कारखाना लगाने के लिए दी गई थी । किसी पट्टे के प्रमाण एवं उसके अभाव में उसकी शर्तों के संबंध में कोई विचार किया जाना संभव नहीं है ।

8/ यह प्रकरण पटवारी के इस प्रतिवेदन पर प्रारंभ हुआ है कि भूमिस्वामी की प्रविष्टि त्रुटिपूर्ण है जबकि अभिलेख में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि संवत 1991 से विवादित भूमि से संबंधित राजस्व अभिलेखों में शासकीय भूमि होने की कोई प्रविष्टि हो । भूमि निरंतर व्यक्तिगत भूमि के रूप में प्रविष्ट होती चली आ रही है तब ऐसी प्रविष्टियों को संदिग्ध बनाने के लिए ठोस तथ्य न्यायालय के समक्ष लाया जाना तथा उन्हें साक्ष्य से प्रमाणित किया जाना आवश्यक है । संहिता की धारा 117 में प्रावधान स्पष्ट है कि राजस्व अभिलेखों की प्रविष्टियां तब तक सही मानी जायेंगी जब तक उन्हें अन्यथा सिद्ध नहीं कर दिया जाता । पूर्व में भूमिस्वामी के विरूद्ध संहिता की धारा 182 के तहत प्रकरण चला था जिसमें राजस्व मंडल ने अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 24.11.1973 को स्थिर रखते हुए बदली हुई परिस्थितियों में केवल लगान बढ़ाये जाने का आदेश पारित किया था ।

9/ जहां तक अनावेदक कमांक 2 प्रतिभा मोहता की ओर से दिए गए तर्को का प्रश्न है उन्होंने विवादित भूमि में अपना स्वत्व होना बताया है । इस प्रकरण में विवादित भूमि पर उनके स्वत्व पर कोई निर्णय देना आवश्यक नहीं है क्योंकि इस प्रकरण में विवाद केवल भूमिस्वामी स्वत्व की प्रविष्टियों का है । उनके अनुसार उनका स्वत्व माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक माना है तब वे न्यायालयीन निर्णयों

के आधार पर अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं । इस आदेश से उनके अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

10/ जहां तक हस्तक्षेपकर्ता/अनावेदक क्र. 3 राजकुमार शाक्य की ओर से किए गए तर्कों का प्रश्न है, उनका विवादित भूमि में कोई स्वत्व एवं अधिकार नहीं है वह केवल शिकायतकर्ता की हैसियत रखते हैं । जब विवादित भूमि संहिता के प्रभावशील होने के पूर्व से व्यक्तिगत भूमि रही है और शासकीय भूमि होने का कोई प्रमाण नहीं है तब बिना किसी आधार के उनके तर्कों को स्वीकार करने का कोई उचित आधार प्रतीत नहीं होता है । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में ऐसी कोई विधिक या सारवान त्रुटि प्रतीत नहीं होती है, जिस कारण उसमें हस्तक्षेप आवश्यक हो ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.5.2000 स्थिर रखा जाता है ।

( एम. के. सिंह )
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर